संख्या- 170 / 2016 / 2457 /चार-2016 -70 (वि) / 2016

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ :: दिनांक 15 नवम्बर , 2016**

विषय:-प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सावर्जनिक उपक्रमों/ निगमों , स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1992/सं0नि0-2016 दिनांक 03 नवम्बर, 2016 मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के प्रस्तर -5 के प्राविधानों के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से भारतेन्दु नाट्य अकादमी,लखनऊ में 01 समूह 'ग' तथा 08 समूह 'घ' में कुल 09 अधिसंख्यक पद इस शर्त के अधीन सृजित किये जाने राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि सृजित अधिसंख्यक पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिक जैसे-जैसे सेवानिवृत्त होते जायेंगे वैसे-वैसे पद स्वत: समाप्त होते जायेंगे।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-999 /दस-2016, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या: 170 / 2016 / 2457 (1) / चार-2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 , उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक , संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7 - निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी,उ0प्र0, गोमती नगर,लखनऊ ।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।